दिनांक 10 फरवरी 2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

कचांदूर रोड में अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्रवाई , 9 एकड़ के प्लॉट से डीपीसी लेवल एवं मार्ग संरचना को किया गया था ध्वस्त

भिलाईनगर/ वैशाली नगर कार्यालय जोन क्रमांक 2 की टीम ने अवैध प्लाटिंग पर दूसरे दिन भी कार्यवाही की , अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए ऐसे विभिन्न प्लाट को चयनित किया गया जहां अवैध प्लाटिंग प्रारंभिक चरण में दिखाई दे रही थी! निरीक्षण करते हुए कई स्थानों पर निगम की टीम पहुंची! दो स्थानों पर लगभग 9 एकड़ के प्लॉट में मार्ग संरचना के लिए मुरूम एवं चूना मार्किंग की गई थी! जिस पर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जोन क्रमांक 02 क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लाटिंग व अनाधिकृत रूप से तैयार किए गए मार्ग संरचना को जेसीबी से हटाया गया। मौके से 12 ट्रिप मुरम भी जप्त किया गया। निगम भिलाई द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। वार्ड 16 कुरूद क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने जेसीबी, हाइवा के साथ निगम की राजस्व विभाग एवं तोड़फोड़ दस्ता की टीम स्थल पर पहुंची , टीम कचांदूर रोड में पहुंची और अवैध तरीके से बनाए जा रहे मकान के नींव को तोड़कर ध्वस्त किया। वैशालीनगर क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लाटिंग के मामले में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई। कुरूद से कचांदूर जाने वाले मुख्य मार्ग में हो रहे अवैध प्लाटिंग की रोकथाम करने मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग , अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं, आयुक्त के निर्देश के पालन में जोन आयुक्त जोन क्रमांक दो पूजा पिल्ले के द्वारा अवैध रूप से जमीनों को विभक्त कर प्लाटिंग करने के उददेश्य से बनाए मार्ग संरचना एव चूना लाईनिंग, डीपीसी लेवल, सीमेंट पोल को हटाने की कार्यवाही की गई है। वैशाली नगर के सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि दो स्थानों पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी , जिस पर संज्ञान लेते हुए जोन आयुक्त के साथ जोन के राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और अवैध प्लाटिंग पर करवाई की। मौके पर तोड़फोड़ दस्ता जेसीबी व हाइवा के साथ टीम पहुंची थी! मौके पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होने के कारण क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को बुलाकर स्थल का खसरा नं. व जमीन के मालिक के खोजबीन की जा रही है। श्री वर्मा ने बताया कि भूस्वामी पर कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थाना को अवगत कराया जाएगा! इसके साथ ही बटांकन को निरस्त करने तथा रजिस्ट्री पर रोक लगाने रजिस्टार को पत्र प्रेषित किया जा रहा है! कार्यवाही के दौरान उप अभियंता शंकरसुमन मरकाम , जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी